



## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेबसाइट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>

ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोननं. 0141-2705471

क्रमांक: एफ1(14)पीएस/आकाशि/2023

दिनांक:

### —:आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) संशोधन नियम दिनांक 14-10-2022 में प्राचार्य पद हेतु वर्णित प्रावधानानुसार पात्र एवं योग्य पाये गये आचार्यों का चयन कर निम्नांकित सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजसेस के अधीन संचालित महाविद्यालयों में 01 वर्ष के लिए प्राचार्य पद के विरुद्ध एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है:-

क्र. सं.	आचार्य का नाम (डॉ.)	विषय	वर्तमान पदस्थापन (राजकीय महाविद्यालय)	नवीन पदस्थापन (राजसेस के अधीन संचालित महाविद्यालय)
1	रवि कुमार विजय	भौतिक शास्त्र	कन्या सिरोही	मालाखेड़ा (अलवर)
2	प्रेम बाफना	राजनीति विज्ञान	सुजानगढ़	कन्या सुजानगढ़ (चूरु)
3	गजादान चारण	हिन्दी	सुजानगढ़	कन्या लाडनूं (नागौर)
4	पुरुषोत्तम सिंह	गणित	धौलपुर	बसईनवाब (धौलपुर)
5	रश्मि पारीक	वनस्पति शास्त्र	बहरोड़	कन्या भिवाड़ी (अलवर)

उक्त प्राचार्यों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार भत्ता देय होगा।

(सुनील शर्मा)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
- संबंधित महाविद्यालय/आचार्य को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने मूल पदस्थापित महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी. की ई-मेल पर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

(सुनील शर्मा)

आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma  
Designation: Commissioner  
Date: 2023.09.02 11:24:03 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4642839

